न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा
(पीठासीन अधिकारी दीप्ति रामचन्द्र मीना, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 2025/119 **दायरा दिनांक : 17.06.2025**

उनवान

बदनलाल आत्मज रोडा, जाति मेहर, निवासी करावन, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड राजस्थान

.... अपीलांट

बनाम

1. मानकुंवर बाई पत्नी सरदार सिंह, जाति राजपूत, निवासी राजपुरा, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड राजस्थान
2. पूरसिंह आत्मज नाथूसिंह, जाति राजपूत, निवासी करावन, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड राजस्थान
3. कमला बाई पुत्री नाथू, जाति चमार
4. कैलाश बाई पुत्री भैरू, जाति मेघवाल
5. जगदीश पुत्र रामा, जाति चमार
6. फत्ती बाई पुत्री नाथू, जाति चमार
7. भगवान लाल पुत्र भैरू, जाति चमार
8. भुवान बाई पुत्री नाथू, जाति चमार
9. भारतबाई पुत्री रामा, जाति मेघवाल
10. रामीबाई पत्नी रामा, जाति मेघवाल
11. विजय प्रकाश पुत्र रामा, जाति मेघवाल
    अकवाम निवासीगण ग्राम करावन, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड राजस्थान
12. सुन्दर बाई पत्नी बापूलाल, जाति बागडी, निवासी घांटाखेड़ी, तहसील डग, जिला झालावाड राजस्थान
13. राजस्थान सरकार जर्ये तहसीलदार तहसील पचपहाड, जिला झालावाड राजस्थान

.... रेस्पोडेंट

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 (251–क)
राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित – श्री चन्द्र प्रकाश खण्डेलवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से
रेस्पोडेंट अनुपस्थित।

निर्णय **दिनांक : 31.10.2025**

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी के प्रकरण संख्या – 1/प्रार्थना पत्र/2024 निर्णय दिनांक 07.05.2025 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम करावन, पटवार हल्का करावन, भू

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र करावन, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड राजस्थान के खाता संख्या नया 594 व पुराना 521 में खसरा नं. 1397 रकबा 0.1265 हेक्टेयर, खसरा नं. 1400 रकबा 1.1381 हेक्टेयर, खसरा नं. 1401 रकबा 0.5311 हेक्टेयर आराजी कुल किता 3 कुल आराजी 1.7957 हेक्टेयर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी नं. 1 मानकुंवर बाई के नाम खाते दर्ज है तथा खाता संख्या 373 व पुराना 335 में खसरा नं. 1393 रकबा 0.9863 हेक्टेयर, खसरा नं. 1399 रकबा 0.1391 हेक्टेयर, खसरा नं. 1419 रकबा 1.5300 हेक्टेयर, खसरा नं. 544 रका 0.2023 हेक्टेयर, खसरा नं. 557 रकबा 0.2150 हेक्टेयर, खसरा नं. 564/1 रकबा 0.2150 हेक्टेयर आराजी कुल किता 6 कुल रकबा 3.2877 हेक्टेयर राजस्व रिकार्ड जमाबंदी में प्रार्थी नं. 2 पूर सिंह के नाम खाते दर्ज है। प्रार्थी की आराजी पर जाने जाने का एक मात्र सनातनी रास्ता खसरा नं. 1418 मुख्य सड़क मार्ग से अप्रार्थी नं. 2 लगायत 11 के नाम खाते दर्ज खेत खसरा नं. 1417/2 के पश्चिमी हिस्से में से हाकर अप्रार्थी नं. 1 के नाम खाते दर्ज खेत खसरा नं. 1417/1, खसरा नं. 1395 व 1396 के पश्चिमी हिस्से में से होकर जाता है जिसे प्रार्थना पत्र में आगे वादग्रस्त रास्ते के नाम से सम्बोधित किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भवानीमण्डी ने अपने निर्णय दिनांक 07.05.2025 से प्रार्थी तथा अप्रार्थी पक्ष की आपसी सहमति पर प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251–ए राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 स्वीकार किया जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की।

अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय, विधि एवं न्याय के सर्वथा विपरीत है जो निरस्त होने योग्य है। निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा धारा 251 आर. टी. एक्ट के प्रावधानों की ओर कोई उचित गौर नहीं फरमाया जो अवैधानिक है। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2/प्रार्थीगण को अपने स्वयं के खाते की आराजी पर आने जाने के लिए चाहा गया नया रास्ता के अलावा पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता मौजूद है, और जवाब दावों में अपीलान्ट द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि वैकल्पिक रास्ता रेस्पोडेन्ट क्रम 1 मानकंवर के खाते की आराजी खसरा नम्बर 1400 की मेड के लगवा गैरमुमकिन रास्ता नम्बर 1268 मौजूद है रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसमे होकर आती जाती रही है एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 2 पूर सिंह का खसरा नम्बर 1393 खण्डार रोड़ के लगवा है इस खण्डार रोड़ से ही वह अन्य खसरा नम्बर 1393, 1399 व 1391 में होकर आता जाता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने इस वैकल्पिक रास्ते के बारे में अपील में कोई फाइन्डिंग नहीं दी। अपीलान्ट अपने खाते की आराजी खसरा नम्बर 1404 के कोने में होकर खण्डार रोड़ से आने जाने में कभी मना नहीं किया। चाहा गया रास्ता हाईवे से लिंग होने के कारण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 नया रास्ता प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं कानूनी वैकल्पिक रास्ता होने की स्थिति में नया रास्ता देने का कोई प्रावधान नहीं है। तहसीलदार गंगधार के द्वारा मौका रिपोर्ट बनायी उसमे केवल मात्र यह उल्लेख किया है कि रास्ता वर्तमान मे बन्द होने से वादीगणों

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

को रास्ता दिया जाना सही होगा, परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया कि रास्ता कहां से बन्द है एवं रिपोर्ट में दोनों पक्षों की सहमति का भी उल्लेख किया गया है जबकि अपीलान्ट बदनलाल ने जो खण्डार रोड़ से 1404 के दक्षिण कोने मे होकर आने जाने वाले रास्ते के बाबत सहमति दी थी। उस वक्त मौका रिपोर्ट का पालन साइक्लोस्टाईल रूप से पूर्ण रूप से खाली था जिस पर खाली लाईने खिंची हुयी थी, और खाली पर ही हस्ताक्षर करवाये गये, चाहे गये नये रास्ते के बारे में कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गयी। अधीनस्थ न्यायालय ने भी मौका रिपोर्ट का उचित अवलोकन नहीं किया केवल मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय जेर अपील पारित कर दिया, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का भी उचित अवलोकन नहीं किया अपीलान्ट ने वैकल्पिक रास्ता जवाब में बताया था और मौके पर भी पटवारी हल्का एल. आर. को जाहिर किया था। परन्तु उन्होंने वैकल्पिक रास्ता नहीं देखा, इन समस्त तथ्यों के बारे में अधीनस्थ न्यायालय ने उचित गौर नहीं फरमाकर मौका रिपोर्ट के आधार पर ही निर्णय जेर अपील पारित कर दिया जबकि मौका रिपोर्ट कानूनी प्रावधानों के विपरीत थी।

अधीनस्थ न्यायालय ने यह मानकर कि मौका रिपोर्ट में दोनों पक्षों की सहमति होना माना गया है जबकि अपीलान्ट ने नये रास्ते की कोई सहमति नहीं दी और रेस्पोडेन्ट क्रम 2 ने भी कोई सहमति नहीं दी हस्ताक्षर साईक्लोस्टाईल खाली फार्म पर कराये गये थे। केवल मौखिक रूप से यह कहा था कि 1404 के दक्षिणी पश्चिमी कोने में होकर खण्डार रोड़ से आने में आपत्ति नहीं है। रिपोर्ट मनमानी है जो प्रार्थीगण के प्रभाव से बनायी गयी है। अप्रार्थीगण की संख्या प्रार्थना पत्र में 11 है और हस्ताक्षर केवल अप्रार्थी क्रम 1 बदनलाल व भगवान लाल के अलावा अन्य किसी के साईन सहमति बाबत नहीं है एवं सुन्दर बाई की सहमति कोई वैधानिकता नहीं रखती क्योंकि सुन्दरबाई की जमीन में रास्ता नही दिया गया है। आदेश में किसी प्रकार का कोई उल्लेख भी नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय मुख्य रूप से मौका रिपोर्ट के आधार पर दिया जाना प्रतीत होता है जबकि मौका रिपोर्ट का एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उचित अवलोकन नहीं किया गया एवं वैकल्पिक रास्ता जो अपीलान्ट के द्वारा अपने जवाब में बताया था उसके बारे में भी अपील में कोई फाइन्डिंग नहीं दी गयी और केवल सहमति की आड लेकर अवैधानिक रूप से निर्णय पारित किया गया है जो निरस्त योग्य है। अपीलान्ट अनुसूचित जाति के व्यक्ति हैं उनके खाते की भूमि में होकर नया रास्ता कायम नहीं किया जा सकता। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.05.2025 निरस्त फरमाया जावे।

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। नोटिस जारी किये गये। रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता का प्रार्थना पत्र पेश किया, पेश किये गये दस्तावेज राजकीय दस्तावेज होने के कारण रेकार्ड पर लिये जाने का निवेदन किया।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस लिखित बहस एवं अपील मेमो में अंकित तथ्यों को दोहराया। लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस के दौरान अंकित किया कि अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेन्ड क्रम 1 व 2 (प्रार्थीगण) के द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 (ए) आर. टी. एक्ट के तहत पेश कर निवेदन किया कि ग्राम करावन, तहसील पचपहाड में खसरा नम्बर 1397, 1400, 1401 कुल तीन किता की 1.7957 हैक्टर आराजी प्रार्थी नम्बर 1 मानकंवर के खाते दर्ज है तथा खसरा संख्या 1393, 1399, 1391, 1419, 544, 557, व 564/1 की कुल 6 किता की 3.77 हैक्टर आराजी प्रार्थी क्रम 2 पूरसिंह के खाते की दर्ज है, उक्त भूमि पर आने जाने का रास्ता खसरा नम्बन 1418 मुख्य सड़क मार्ग से अप्रार्थी 2 लगायत 11 के नाम दर्ज खेत खसरा संख्या 1417/2, पश्चिमी हिस्से में से होकर अप्रार्थी क्रम 1 के नाम खाते दर्ज खसरा संख्या 1417/1, 1395 व 1396 के पश्चिमी हिस्से में से होकर आता जाता है जिसे पूर्व के समय से उपयोग व उपभोग करते चले आ रहे हैं। जिसके उपयोग व उपभोग का सुखाधिकार भी प्राप्त है। उक्त रास्ते को अवरूद्ध कर दिया गया है। प्रार्थीगण की आराजी पर आने जाने का वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। अतः प्रार्थीगण को आने जाने के लिए अप्रार्थी क्रम 1 द्वारा अवरूद्ध रास्ता खुलवाया जावे। रास्ते का मुआवजा देने को प्रार्थीगण तैयार है, अतः अप्रार्थी क्रम 1 व 2 लगायत 11 की आराजी में होकर रास्ता दिलवाया जावे, अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा कानूनी प्रावधानों को नजर अन्दाज कर एवं वैकल्पिक रास्ते को मध्य नजर न रख निर्णय जेर अपील दिनांक 07.05.2025 पारित किया है इसलिये अपीलान्ट द्वारा आदेश दिनांक 07.05.2025 के विरूद्ध यह अपील प्रस्तुत की गयी है। निर्णय पारित करने मे योग्य अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा धारा 251 आर. टी. एक्ट के प्रावधानों की ओर कोई उचित गौर नहीं फरमाया जो अवैधानिक है। रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2/प्रार्थीगण को अपने स्वयं के खाते की आराजी पर आने जाने के लिए चाहा गया नया रास्ता के अलावा पूर्व से ही वैकल्पिक रास्ता मौजूद है, और जवाब दावों में अपीलान्ट द्वारा स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि वैकल्पिक रास्ता रेस्पोडेन्ट क्रम 1 मानकंवर के खाते की आराजी खसरा नम्बर 1400 की मेड के लगवा गैरमुमकिन रास्ता नम्बर 1268 मौजूद है रास्ता रिकॉर्ड में दर्ज है, जिसमें होकर आती जाती रही है एवं रेस्पोडेन्ट क्रम 2 पूर सिंह का खसरा नम्बर 1393 खण्डार रोड़ के

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

लगवा है इस खण्डार रोड़ से ही वह अन्य खसरा नम्बर 1393 व 1399 व 1391 में होकर आता जाता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय ने इस वैकल्पिक रास्ते के बारे में अपील में कोई फाइन्डिग नहीं दी। अपीलान्ट अपने खाते की आराजी खसरा नम्बर 1404 के कोने में होकर खण्डार रोड़ से आने जाने में कभी मना नहीं किया। चाहा गया रास्ता हाईवे से लिंग होने के कारण रेस्पोडेन्ट क्रम 1 व 2 नया रास्ता प्राप्त करने की चेष्टा कर रहे हैं कानूनी वैकल्पिक रास्ता होने की स्थिति मे नया रास्ता देने का कोई प्रावधान नहीं है। तहसीलदार गंगधार के द्वारा मौका रिपोर्ट बनायी उसमे केवल मात्र यह उल्लेख किया है कि रास्ता वर्तमान मे बन्द होने से वादीगणों को रास्ता दिया जाना सही होगा, परन्तु यह स्पष्ट नहीं किया कि रास्ता कहां से बन्द है एवं रिपोर्ट में दोनों पक्षो की सहमति का भी उल्लेख किया गया है जबकि अपीलान्ट बदनलाल ने जो खण्डार रोड़ से 1404 के दक्षिण कोने में होकर आने जाने वाले रास्ते के बाबत सहमति दी थी। मौका रिपोर्ट साइक्लोस्टाईल परफोर्मा में है अपीलान्ट के द्वारा अपनी सहमति बाबत कोई लिखित में मौके पर आवेदन नही दिया और न ही कोई सहमति दी। केवल उपस्थिति के हस्ताक्षर किये थे एवं नीचे खाली जगह मे लाईने खीचकर साईन करवा लिए थे, जिससे भी स्पष्ट है कि मौका रिपोर्ट की खाना–पूर्ति बाद में की गयी। काननून धारा 251 (ए) के तहत रास्ता स्वीकृत करने हेतु केवल सहमति होना पर्याप्त नहीं है। जैसा कि नजीर आर. आर. टी. 2024 (2) पेज 1006 पर प्रतिपादित किया गया है। पटवारी कानूनगों के समक्ष सहमति नया रास्ता का आधार नही हो सकती, सहमति एवं समझोता केवल अदालत के समक्ष ही दी जा सकती है।

अधीनस्थ न्यायालय ने भी मौका रिपोर्ट का उचित अवलोकन नहीं किया केवल मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय जेर अपील पारित कर दिया, अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र का भी उचित अवलोकन नहीं किया अपीलान्ट ने वैकल्पिक रास्ता जवाब में बताया था, जो अपीलान्ट के खसरा नम्बर 1404 के दक्षिण, पश्चिम कोने से होकर खंण्डार रोड़ (आम सड़क) से होकर रास्ता आज भी मौजूद है परन्तु कानूनगों एवं पटवारी के द्वारा वैकल्पिक रास्ते का मौका ही नहीं देखा गया केवल रेस्पोडेन्ट के कहे अनुसार मौका रिपोर्ट बना दी गयी। मौका रिपोर्ट मे दिनांक 03.01.2025 में इस बात का कहीं उल्लेख नहीं है कि मौके पर चाहे गये नये रास्ते के अलावा अन्य वैकल्पिक रास्ता मौजूद नहीं है। जबकि काननन वैकल्पिक रास्ता होने की स्थिति मे और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा भी अपीलान्ट द्वारा अपने जवाब मे बताये गये वैकल्पिक रास्ते के बारे मे कोई फाईन्डिग नहीं देकर केवल मौका रिपोर्ट में लिखित सहमति के आधार पर पारित किया है जो निरस्तनीय है। आर. आर. टी. 2025 (1) पेज 476 पर प्रतिपादित किया है की कोई वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध है या नहीं स्पष्ट रूप से नहीं दर्शाया और प्रकरण रिमान्ड किया। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध आदेशिका दिनांक 07.05.2025 से भी यह स्पष्ट है कि रास्ते में सहमति बाबत अप्रार्थी संख्या 11 सुन्दर बाई (रस्पोडेन्ट क्रम

(दीपक रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

12) की सहमति बाबत हस्ताक्षर हैं किन्तु इस आदेशिका में अपीलान्ट की सहमति बाबत कोई हस्ताक्षर नहीं है। केवल मात्र सहमति की आड में कानूनी प्रावधानों को नजर अन्दाज़ कर एवं वैकल्पिक रास्ते को नजर अन्दाज कर निर्णय जेर अपील पारित किया है जो निरस्त योग्य है। अपीलान्ट अनुसूचित जाति का व्यक्ति है, लडाई झगडा करने में सक्षम नहीं है अपीलान्ट की भूमि मे होकर नया रास्ता कायम नही किया जा सकता। अतः लिखित बहस पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमायी जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 07.05.2025 निरस्त फरमाया जावे। अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.टी. 2024 (2) पेज 1006, आर.आर.टी. 2025 (1) पेज 476 की नजीर उद्धरत की।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील के साथ आदेश 41 नियम 27 एवं सपठित धारा 151 व्यवहार प्रकिया संहिता के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति पेश की है। पेश किये गये दस्तावेज राजस्व रेकार्ड की प्रमाणित प्रति है। अतः न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है।

हमने विद्वान अभिभाषक अपीलांट की एकतरफा बहस पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली एवं प्रस्तुत अपील के विवादित तथ्यों का गहनता से अवलोकन किया।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी रेस्पोडेंट कम 1 व 2 द्वारा अन्तर्गत धारा 251 क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम करावन, तहसील पचपहाड, जिला झालावाड की खाता संख्या 594 एवं 373 में दर्ज अपने खाते की आराजी खसरा नं. 1397, 1400, 1401 एवं खसरा नं. 1393, 1399, 1419, 544, 557, 564/1 पर कृषि कार्य हेतु अपीलांट एवं रेस्पोडेंट कम 3 ता 12 के खाते की आराजी खसरा नं. 1417/2, 1417/1, 1395 व 1396 के पश्चिमी हिस्से में से पहुंच मार्ग उपलब्ध करवाने हेतु प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने तहसील पचपहाड से प्राप्त मौका रिपोर्ट के आधार पर अपने निर्णय दिनांक 07.05.2025 से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर प्रार्थीगण को खसरा सं. 1418 मुख्य सड़क मार्ग से अप्रार्थी नं. 2 लगायत 11 के नाम खाते दर्ज खेत खसरा सं. 1417/2 के पश्चिमी हिस्से में से होकर अप्रार्थी अपीलांट नं. 1 के नाम खाते दर्ज खेत खसरा सं. 1417/1, 1395 व 1396 के पश्चिमी हिस्से में से मुताबिक रिपोर्ट तहसील पचपहाड 100 मीटर लम्बाई व 3.40 मीटर चौडाई का रास्ता दिये जाने का निर्णय पारित किया है।

धारा 251–क राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रार्थना पत्र का निस्तारण करते वक्त मुख्य रूप से इन बिन्दुओं को ध्यान में रखा जाना विधिक प्रावधानों के अनुसार आवश्यक है कि क्या प्रार्थी को अपने खाते की आराजी पर

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

आवागमन हेतु रास्ते की अत्यांतिक आवश्यकता है अथवा नहीं ? प्रार्थी को आवागमन हेतु पूर्व से कोई वैकल्पिक रास्ता उपलब्ध है अथवा नहीं ? जो रास्ता आवागमन हेतु चाहा गया है वह लघुत्तम मार्ग है अथवा नहीं ? संदर्भित प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने तहसीलदार पचपहाड की मौका रिपोर्ट के आधार पर निर्णय पारित करते हुए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया है। तहसीलदार पचपहाड द्वारा मौका रिपोर्ट के बिन्दु संख्या 1, 2 व 3 में अंकित किया है कि चाहा गया रास्ता वास्तविक उपयोग के लिए है, वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध नहीं है एवं प्रस्तावित रास्ते के अलावा दिया जा सकने वाला अन्य कोई निकटतम मार्ग नहीं है। यह तथ्य मौका रिपोर्ट के द्वितीय पृष्ठ पर अंकित है जिस पर पक्षकारन एवं उपस्थित ग्रामवासियों के हस्ताक्षर नहीं है। पक्षकार एवं ग्रामवासियों के हस्ताक्षर मौका रिपोर्ट के केवल प्रथम पृष्ठ पर ही अंकित है, जिसमें दोनों पक्षों की सहमति होना अंकित किया गया है। इस सहमति के सन्दर्भ में अपीलांट बदनलाल ने प्रस्तुत अपील एवं लिखित बहस में अंकित किया है कि अपीलांट ने खण्डार रोड़ से खसरा नं. 1404 के दक्षिण कोने में होकर आने जाने वाले रास्ते के बाबत सहमति दी थी। चाहे गये नये रास्ते के बारे में कोई स्वीकृति प्रदान नहीं की गई। मौका रिपोर्ट के प्रथम पृष्ट पर रास्ता कहां से व किस खसरा नं. से दिया जायेगा इस सन्दर्भ में कोई टिप्पणी अंकित नहीं है। अप्रार्थी अपीलांट बदनलाल द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब प्रार्थना पत्र के विशेष कथन की मद नं. 1 व 2 में स्पष्ट रूप से अंकित किया है प्रार्थी रेस्पोडेंट कम 1 व 2 के खाते की आराजी में पहुंचने हेतु वैकल्पिक रास्ता खसरा नं. 1400 से लगवा गैर मुमकिन रास्ता खसरा नं. 1268 मौजूद है परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में वैकल्पिक रास्ते के सन्दर्भ में कोई विवेचन अंकित नहीं किया है।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में सलग्न नकल खसरा नक्शा एवं जमाबंदी खसरा नं. 1400, 1402/2, 1390 एवं नकल जमाबंदी संवत 2071–2074 खाता संख्या 1 के अनुसार खसरा नं. 1286 रकबा 0.8599 हेक्टर गैर मुमकिन रास्ता दर्ज रिकार्ड है। इससे प्रथम दृष्टया यह प्रतीत होता है कि प्रार्थी रेस्पोडेंट कम 1 व 2 के खाते की आराजी में आवागमन हेतु चाहे गये मार्ग के अतिरिक्त अन्य लघुत्तम वैकल्पिक मार्ग उपलब्ध कराया जा सकता था। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय में लघुत्तम वैकल्पिक मार्ग के सन्दर्भ में अप्रार्थी अपीलांट द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र के विशेष कथन की मद नं. 1 व 2 में अंकित तथ्यों की जांच करते हुए कोई विवेचन अंकित नहीं करने के कारण लघुत्तम वैकल्पिक मार्ग की उपलब्धता की स्थिति अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से स्पष्ट नहीं होती है। साथ ही अपीलांट ने अपने खाते की आराजी खसरा नं. 1404 के कोने से होकर खण्डार रोड़ से रास्ता उपलब्ध कराने में कोई आपत्ति नहीं होना प्रस्तुत अपील एवं लिखित बहस में अंकित किया है। अतः संदर्भित प्रकरण में अन्य लघुत्तम वैकल्पिक मार्ग के विवादित बिन्दु की जांच होना धारा 251–क के विधिक प्रावधानों एवं प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के अनुसार विधिक रूप

(दीपि रामचन्द्र मीना)
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

से आवश्यक होने के कारण हम अपीलाधीन निर्णय को अपील के इस स्तर पर खारिज करना उचित समझते हैं।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 07.05.2025 खारिज किया जाता है। प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि अधीनस्थ न्यायालय लघुत्तम वैकल्पिक रास्ते के सन्दर्भ में विवादित तथ्यों की पुनः विधिवत जांच करने के पश्चात पुनः नये सिरे से विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 12.01.2026 को उपस्थित होवे।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

31/10/2025

(दीप्ति रामचन्द्र मीना)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा